क्रमांक 2390-3 एस-72/10913

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणो सरकार ।

सेवा में,

(1) हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल ;
सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी ।
(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा
सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।
दिनांक 19 अप्रैल, 1972

विषय :—डिविज़नल हैड आफ डिपार्टमैन्टस की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे नीति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब के परिपत्रों क्रमांक 14102-जी 1-57/22998, दिनांक 15 नवम्बर, 1957 तथा क्रमांक 10542-जी 111-59/26741, दिनांक 17 दिसम्बर, 1959 (प्रतियां संलग्न हैं) में निहित हिदायतों की ओर दिलाऊं और बताऊं कि इन परिपत्रों में बताई गई हिदायतों के अनुसार मण्डलों के आयुक्त सभी विभागों के डिविज़नल हैड आफ डिपार्टमैन्टस (जिनमें सर्किल लैवल अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उन अधिकारियों की निम्नलिखित विशेषताओं पर अपने विचार प्रकट करने के लिये सक्षम हैं :—

1. ईमानदारी,
2. जनता से सम्पर्क; तथा
3. विकास योजनाओं तथा सरकार की नीति को पूरा करने में काम ।

सरकार के देखने में आया है कि उपर्युक्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को लिखवाने में एक नीति नहीं अपनाई जा रही। अतः अब सरकार ने निर्णय लिया है कि डिविज़नल हैड आफ डिपार्टमैन्टस जिन में सर्किल लैवल आफिसर भी शामिल होंगे, की गोपनीय रिपोर्ट उस अधिकारी के सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष द्वारा लिखी जानी चाहियें और उसके बाद उन रिपोर्टों को आयुक्त, अम्बाला मण्डल को भेजी जायें। आयुक्त, अम्बाला मण्डल उस पर अधिकारी को उपरोक्त विशेषताओं के बारे में अपने विचार लिखकर रिपोर्ट को अगली रिपोर्टिंग एथौरेटी (जो मंडल के आयुक्त को विभाग द्वारा पहले ही Indicate की जायेगी) को भेज दें ।

2. आप से अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों को अनुपालन के लिये नोट कर लिया जाये और इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय
हस्ताक्षर
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति अनुलंग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा अनुपालनार्थ भेजी जाती है :—

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा; तथा
2. हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा: क्रमांक 2390-3 एस-72/ दिनांक चण्डीगढ़, 19 अप्रैल, 1972